कनगवल्लियामल और अन्य

बनाम

आर. बालासुब्रमणियन

(सिविल अपील न. 2106/2008)

मार्च 26,2008

अरिजित पसायत और पी. सन्थासिवम, जेजे.

निष्पादन-सीमा-निष्पादन याचिका निर्धारित सीमा अवधि से परे दायर की गई-पोषणीयता-अभिनिर्धारित- अपोषणीय, यह मत है कि यह पूववर्ती याचिकाओं जिनमें एक निष्पादन याचिका को अनुपस्थिति की वजह से और एक अन्य पर बल नहीं दिये जाने के कारण खारिज कर दिया गया था, इस प्रकार पाण्डिचेरी सीमा (स्थानीय कानूनों का निरसन) अधिनियम, 1994 का भाग 4(बी)(1) के लागू होने की तारीख पर किसी भी प्रकार की पुनर्स्थापना या बहाली के लिये प्रार्थना/आवेदन विचाराधीन/लंबित नहीं था, की निरतरंता में थी जो मान्य नहीं है, दिनांक 22.04.1983 को एक निर्णय पारित किया गया था। सन् 1984 में एक निष्पादन याचिका दायर की गई थी जिसे बल ना दिये जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। सन् 1986 में एक और निष्पादन याचिका दायर की गई थी जिसे दिनांक 28.03.1994 को अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था। दिनांक 29.04.1994 को निष्पादन याचिका के पुनर्स्थापना के लिये एक ईए दायर की गई थी, जिसे बल ना मिलने के कारण दिनांक 31.10.1994 को खारिज कर दिया गया था। फलतः दिनांक 10.11.1995 को एक निष्पादन याचिका न. 177 दायर की गई थी। अपीलांट निर्णित ऋणी ने दावा किया कि निष्पादन याचिका अवधि बाधित थी।

प्रत्यर्थी का तर्क था कि निष्पादन याचिका पाण्डिचेरी सीमा (स्थानीय कानूनों का निरसन) अधिनियम 1994 के अंतर्गत अनुमत समय में थी। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने पाया कि दिनांक 10.11.1995 को दायर निष्पादन याचिका न. 177 पूर्ववर्ती सन् 1986 में दायर तथा अन्य निष्पादन याचिकाओं की निरतंरता में थी। इसलिए अधिनियम की धारा एस 04 निष्पादन याचिका संख्या 177/1995 पर लागू नहीं होती हैं।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कानून के लागू होने की तारीख 01.03.1995 थी और अनुमत समय/विहित समय 90 दिन था। दिनांक 10.11.1995 को दायर होने वाली निष्पादन याचिका 90 दिन की अवधि से परे थी।

स्वीकार करते हुये, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि

उच्च न्यायालय का यह विचार औचित्यपूर्ण नहीं है कि निष्पादन याचिका न. 177/1995 पूर्ववर्ती निष्पादन याचिका 369/1986 और अन्य निष्पादन याचिकाओं की निरंतरता में थी। वास्तव में, निष्पादन याचिका न. 369/1986 को दिनांक 28.03.1994 को अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था और इसे पुनर्स्थापित करने के लिये दायर निष्पादन याचिका 238/1994 पर बल नहीं दिये जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। इसलिये वहां कोई निष्पादन याचिका नहीं थी। इसी कारण अधिनियम के लागू होने की तारीख पर कोई आवेदन निष्पादन याचिका की पुनर्स्थापना या बहाली के लिये लंबित/विचाराधीन नहीं था। निष्पादन याचिका न. 177/1995 विहित अवधि से परे होने से पोषणीय नहीं थी और खारिज करने योग्य थी।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2106/2008

दिनांक 15.11.2006 को मद्रास उच्च न्यायालय के सीआरपी संख्या 1110/2003 के अंतिम निर्णय व आदेश से-

अपीलार्थी वी कृष्णामुरथी, जगदीसन

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजित पसायत, जे.जे. के द्वारा

1. अनुमति स्वीकृत।

2. मद्रास उच्च न्यायालय के एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908, धारा 115 में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर देने के आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई हैं। पुनरीक्षण याचिका में अतिरिक्त उप न्यायाधीश, पाण्डिचेरी के आदेश दिनांक 07.07.2003 को निष्पादन याचिका 177/1995 ओएस न. 40/81 में अधिसूचित संपति की कुर्की आदेश को चुनौती दी गई।

अपीलार्थी, जो उच्च न्यायालय में प्रार्थी थे निर्णीत ऋणी है

3. पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:

दिनांक 22.04.1983 को ओएस संख्या 40/1981 में डिक्री पारित की गई। दिनांक 16.04.1984 को निष्पादन याचिका 19/1984 पर बल ना दिये जाने के कारण खारिज कर दिया गया। दिनांक 10.08.1984 को निष्पादन याचिका 101/1984 बंद की गई। दिनांक 24.10.1986 को दायर निष्पादन याचिका 369/1986 दिनांक 28.03.1994 को अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दी गई। दिनांक 29.04.1994 को निष्पादन।

याचिका के पुनरस्थापन के लिये ईए संख्या 238/1994 दायर की गई थी, जिस पर बल ना दिये जाने के कारण 31.10.1994 को खारिज कर दिया गया था। परिणामस्वरूप दिनांक 10.11.1995 को निष्पादन याचिका 177/1995 दायर की गई थी। अपीलार्थी ने दावा किया कि निष्पादन याचिका अवधि बाधित है। प्रत्यर्थी ने दावा किया

कि निष्पादन याचिका पाण्डिचेरी सीमा (स्थानीय कानूनों का निरसन) अधिनियम में अनुमत समय के अंतर्गत हैं। इस अधिनियम की धारा 4(बी)(1) के संदर्भ में। कार्यकारी न्यायालय ने दावा स्वीकार किया। उपर वर्णित पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी जिसे इसी प्रकार खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के मतानुसार दिनांक 10.11.1995 को दायर निष्पादन याचिका 177/1995 पूर्ववर्ती दायर निष्पादन याचिका 369/1986 तथा अन्य निष्पादन याचिका की निरंतरता में थी। इसलिए अधिनियम की धारा 4 निष्पादन याचिका 177/1995 पर लागू नहीं होती हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम के लागू होने की तारीख 01.03.1995 थी और निष्पादन याचिका के दायर करने के लिये अनुमत समय 90 दिन था। निष्पादन याचिका 177/1995 जो दिनांक 10.11.1995 को दायर की गई 90 दिन के समय से परे थी।

5. विरोधाभास बहुत ही सूक्ष्म परिधि का हैं।

6. अधिनियम की धारा 4(बी)(1) इस प्रकार है:

(4) इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी (बी) यदि किसी आवेदन या अपील की अवधि सीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि स्थानीय कानूनों द्वारा निर्धारित अवधि से कम हो तो ऐसा अपील या आवेदन स्वीकार किया जा सकता है

(1) ऐसी न्यूनतम अवधि या कानून के लागू होने बाद के 90 दिनों के भीतर, जो भी अवधि अधिक हो

7. अधिनियम की धारा 5(बी) भी सुसंगत है जो इस प्रकार है-

(5) "इस कानून मे कुछ भी नहीं होगा। इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्थानीय कानूनों द्वारा निर्धारित समय सीमा पूरी हो चुकी हो

तो किसी भी वाद, अपील या आवेदन को संस्थित करने/प्रारंभ करने या अनुमति देने के लिये।"

8. उच्च न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 10 में वर्णन किया गया जो निम्न है-

"10. निम्नलिखित तिथियों का संदर्भ उपयुक्त है:

अधिकतम अवधि फ्रांसीसी कानून में = 30 साल

भारतीय कानून में न्यूनतम अवधि = 12 साल

संशोधित कानून के तहत, फ्रांसीसी कानून में समय सीमा (22.04.1983 + 30 साल) = 22.04.2013

भारतीय सीमा कानून, न्यूनतम सीमा (22.04.1983 + 12 साल) = 22.04.1995

01.03.1995 से 90 दिन या 3 महिनें जिनमें आवेदन दाखिल होना चाहिए = 01.06.1995"

9. उच्च न्यायालय का यह विचार औचित्यपूर्ण नहीं है कि निष्पादन याचिका 177/1995 पूर्ववर्ती निष्पादन याचिका 369/1986 व अन्य निष्पादन याचिकाओं की निरंतरता में हैं। वास्तव में, निष्पादन याचिका 369/1986 दिनांक 28.03.1994 को अनुपस्थिति के कारण खारिज तथा निष्पादन याचिका 238/1994 पर बल ना दिये जाने के कारण खारिज हो गई थी। फलतः वहां कोई निष्पादन याचिका तब नहीं थी। इस कारण कानून के लागू होने की तारीख पर कोई आवेदन किसी निष्पादन याचिका को पुनर्स्थापित या बहाल करने के लिए लंबित नहीं था।

10. ऐसा होने से उच्च न्यायालय का मत औचित्यपूर्ण नहीं था। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। दायर निष्पादन याचिका संख्या 177/1995

विहित समय अवधि से बाधित होने से पोषणीय नहीं हैं और खारिज करने योग्य पाई गई।

11. अपील बिना हर्जे स्वीकार की जाती हैं।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमित सहलोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।